संख्या:366/2022/1357/35-4-2022/35-4099/446/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 नवम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-हरदोई में राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश सं0-19/2020/2058/35-4-2020, दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 1792.68 लाख(जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त् की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख, शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 रू0 268.90 लाख तथा शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 965.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ऑगणन प्रेषित किया गया। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू0 1792.68 लाख में मिट्टी भराई की अनुमोदित लागत रू0 74.46 लाख को सम्मिलित करते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 1867.14 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गई। प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1703.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, द्वारा पत्रांक: 115/त्व0आ0वि0यो0/2019-20/2022-23 दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु नियमानुसार देय जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 266.52 लाख इंगित की गई है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित कुल लागत रू. 1867.14 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 की देय धनराशि रू0 266.52 लाख (रूपये दो करोड़ छांछठ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	कुल लागत	जी0एस0टी0 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई का भवन निर्माण कार्य	1867.14+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय)	266.52	2133.67	266.52

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2020, 20 जनवरी, 2021 23 मार्च, 2021 18 अगस्त, 2021 तथा 25 फरवरी, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,66,52,000 (रूपये दो करोड़ छाछठ लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:366/2022/1357(1)/35-4-2022/35-4099/446/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
14- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हरदोई।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in